



# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 फैक्स नं०- 2224529

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-46/2015

1 निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 01-08-2015 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 03-08-2015 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 05-08-2015 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 07-08-2015 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर। 7. निर्माण कार्य का व्यौरा :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रधन की राशि ₹ में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत मुफ्फसील थाना में अनु0जा0/अनु0जा0महिला थाना भवन, 8 एल0एस0 एवं 6 यू0एस0आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	390.00	780000	10000	17100	12 माह
2.	सिवान जिलान्तर्गत मजहरूल हक थाना परिसर में ग्रेड-III थाना, 4-यू0एस0 एवं 6-एल0एस0 आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	264.00	528000	10000	5700	12 माह
3.	नौगाछिया पुलिस जिलान्तर्गत रीजर्व ऑफिस (अवशेष कार्य) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	28.24	56500	5000	1140	6 माह
4.	मुंगेर जिलान्तर्गत गंगटा ओ0पी0 में सी0आर0पी0 एफ0 हेतु कैम्प भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	207.72	415500	10000	5700	12 माह
5.	मुंगेर जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-9, जमालपुर में पुलिस उपाधीक्षक के आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	47.76	95600	5000	1140	9 माह
6.	बाँका जिलान्तर्गत रजौली थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	97.57	195200	10000	5700	9 माह
7.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, सीतामढ़ी में 100 सिपाहीयों के बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	114.47	229000	10000	5700	12 माह
8.	अररिया जिलान्तर्गत अररिया में अनु0जा0 / अनु0जा0 थाना एवं महिला थाना में 8 लोअर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	90.32	180700	10000	5700	12 माह
9.	लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5700	9 माह
10.	लखीसराय जिलान्तर्गत न्यायालय परिसर, लखीसराय में सुरक्षा गार्ड के आवासन हेतु बैरक का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	44.37	88800	5000	1140	6 माह
11.	बाँका जिलान्तर्गत फुलीडुमर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5700	12 माह
12.	नवादा जिलान्तर्गत रजौली थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	51.36	102800	10000	1140	9 माह
13.	नवादा जिलान्तर्गत सिरदल्ला थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	52.11	104300	10000	1140	9 माह
14.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहार थाना में SC/ST एवं महिला थाना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	198.96	398000	10000	5700	9 माह
15.	नालंदा जिलान्तर्गत सोहसराय थाना में ग्रेड-III थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	116.29	232600	10000	5700	9 माह
16.	नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमण्डल में अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	151.47	303000	10000	5700	6 माह
17.	नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर अनुमण्डल में अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	135.63	271300	10000	5700	12 माह

8. 10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) /वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-01-08-2015 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।

9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 14.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 14.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 14.00 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात /छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

**शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतान दिनांक- 03-08-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा।** प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाना नहीं जायेगा।

**अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ** बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 05-08-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई.निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 06-08-2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निर्बंधित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निर्बंधन कराना आवश्यक होगा।

11. विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। विद्युतिकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कांटेक्टोर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।

12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

13. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।

14. जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंधित हैं (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

15. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छ: वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

ह0/- मुख्य अभियंता, पटना।

